

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 महाजन  
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।  
सभी जिला पदाधिकारी ।  
सभी सिविल सर्जन, बिहार ।

पटना, दिनांक- 20/07/2016

विषय - वर्ष-2016 के संभावित सुखाड़ एवं उससे उत्पन्न बीमारियों की रोकथाम हेतु अनुदेश।  
महाशय,

सुखाड़ का प्रभाव आर्थिक, पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर पड़ता था। सुखाड़ के समय होने वाले बीमारियों एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के रोकथाम हेतु आवश्यक है कि पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जायें जिससे कि संभावित बीमारियों से निपटा जा सके तथा समुचित उपचार किया जा सके। संभावित सुखाड़ को देखते हुए एक आकस्मिक कार्य योजना तैयार कर ली जाय (सुलभ प्रसंग हेतु जाँच बिन्दुओं की सूची- क संलग्न है), साथ ही आवश्यक दवाओं का भंडारण कर लिया जाय तथा दवाओं को यथा शीघ्र सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य उपकेन्द्रों तक उपलब्ध कराया जाय।

इसके अतिरिक्त सुखाड़ एवं उससे उत्पन्न बीमारियों की समस्या से निपटने हेतु निम्नलिखित कार्यवाई की जाय :-

(क) सामान्य

1. जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक महामारी समिति गठित है जिसमें उप विकास आयुक्त/आरक्षी अधीक्षक/सिविल सर्जन/आपूर्ति विभाग/सहाय्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी सदस्य हैं। यह समिति अपने जिले में सुखाड़ से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के संभावित क्षेत्रों का पूर्व के अनुभव के आधार पर चिन्हित करेंगे, जहाँ पर त्वरित ढंग से उपचारात्मक एवं निरोधात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जायगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी उक्त समिति को है।

(ख) निरोधात्मक/उपचारात्मक

1. संभावित सुखाड़ होने की स्थिति में जिला स्तर पर उन जिलों में प्रभावित जगहों के आधार पर चिकित्सा दलों का गठन किया जायेंगे, जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक/ परिचारिका एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी सिविल सर्जन द्वारा नामित किये जायेंगे। चिकित्सा दल की संख्या प्रभावित जगहों के आधार पर जिलाधिकारी की सहमति पर भेजी जायगी।
2. सुखाड़ के समय अशक्त वर्ग विशेषतः बच्चे, दुध पिलाने वाली महिलाओं, गर्भवती महिलाओं एवं व्योवृद्धों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। प्रभावित जनसंख्या पोषाहार की कमी से अत्यधिक प्रभावित होती है।

सामान्यतः सुखाड़ के समय निम्न बीमारियों उत्पन्न होती है :-

- i जलजनित - दस्त, कलरा, अतिसार, वाईरल हेपेटाईटिस, मियादी बुखार, खाने पीने की वस्तुओं से संक्रमण ।
  - ii पोषाहार की कमी का परिणाम-विशेषतः विटामिन्स एवं मिनरल्स की कमी ।
  - iii संक्रमण-मिजिल्स ।
  - iv अधिक गर्मी का प्रभाव- डिहाईड्रेशन, हिट स्ट्रोक, हिट एकजर्शन ।
  - v चर्म रोग- ड्रुमेटाईटिस, स्केविज इत्यादि ।
  - vi श्वास संबंधित बीमारियाँ- निमोनिया, एक्यूट ब्रोनकाईटिस, ब्रोनको निमोनिया ।
  - vii मानसिक बीमारियाँ- एनजाईटी, डिप्रेशन एवं फियर (भय) ।
  - viii वेक्टर बॉर्न - मलेरिया तथा डेंगू ।
3. उपरोक्त रोग से पीड़ित मरीजों के लिए निम्नलिखित दवाओं की आवश्यकता होगी :-

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of Drugs</u>
1.	Disinfectants
2.	ORS pkts.
3.	ASVS
4.	Antibiotics
5.	Antidiarrhoeal
6.	IV Fluids
7.	IV Sets
8.	Antitussive
9.	Antiallergic
10.	Antidepressant
11.	B. Complex
12.	Skin ointment
13.	ARV

4. सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में अन्य सुखाड़ से उत्पन्न बीमारियों यथा डायरिया आदि की रोकथाम हेतु ओ0 आर0 एस0 एवं एन्टीडायरियल संबंधित आवश्यक दवा की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर लें, इन दवाओं के अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन टेबलेट, ए0एस0भी0एस0, ए0आर0भी0 का भंडारण सुनिश्चित कर लेंगे। ये सभी Essential Drugs में शामिल है ! Essential Drugs के अतिरिक्त सामान्य दवाओं की भी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। क्रय समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दवाओं का भंडारण करेंगे। दवा खरीदने की प्रक्रिया के बारे में निर्गत सभी अनुदेशों का सख्ती से पालन करेंगे। दवाओं का क्रय राज्य स्वास्थ्य समिति निर्धारित क्रय दर के अनुरूप की जायेगी ।
5. सिविल सर्जन, जिलाधिकारी के सहयोग से प्रचार-प्रसार के माध्यम से संभावित प्रभावित क्षेत्रों में सुखाड़ से उत्पन्न बीमारियों से निरोधात्मक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलायेंगे।
6. जिला/प्रखंड के स्वच्छता निरीक्षक पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पीने के जल का नमूना एकत्र करेंगे और उसकी जाँच प्रमण्डलीय प्रयोगशाला या चिकित्सा महाविद्यालय अथवा लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में करायेंगे।
7. जिन क्षेत्रों में महामारी हो गई है और आक्रान्तों की संख्या ज्यादा है वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप केन्द्रों के अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र/पोषाहार केन्द्र, पाठशाला, पंचायत भवन आदि में अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र खोला जायगा। जब तक महामारी पर नियंत्रण नहीं हो जाता है वहाँ पर उक्त अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र चलते रहेंगे और वहाँ पर सभी कर्मचारी अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्त रह कर कार्यरत रहेंगे।


8. अतिसार एवं सपेदंश से आक्रान्तों मरीजों की मृत्यु समय पर उपचार न होने से हो सकती है। फलस्वरूप त्वरित आधार पर सूचना प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम चौकीदार/अन्य विभागों के मौलिक कार्यकर्ता/स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय थाना/आरक्षी अधीक्षक/ सिविल सर्जन एवं जिलाधिकारी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएँगे और सिविल सर्जन तथा उस क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि चिकित्सा दल तुरंत उस स्थान पर भेजेंगे एवं सुखाड़ से उत्पन्न महामारी पर नियंत्रण हेतु समुचित कार्रवाई करेंगे।
9. जिलाधिकारी को विभिन्न श्रोतों से सुखाड़ से उत्पन्न महामारी के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, उन सूचनाओं के आधार पर सिविल सर्जन का यह दायित्व होगा कि गठित चिकित्सा दल को उस स्थान पर आवश्यक उपचार हेतु भेजेंगे।
10. सुखाड़ से उत्पन्न महामारी की रोकथाम तथा सुखाड़ के कारण आक्रांत मरीजों के उपचार आदि के लिये जिलाधिकारी/सिविल सर्जन अपने जिले के अन्तर्गत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्यकर्मी को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। ऐसे प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्यकर्मी अगले आदेश तक अथवा सुखाड़ से उत्पन्न महामारी पर नियंत्रण न पा लिया जाय तब तक प्रतिनियुक्त स्थान पर बने रहेंगे।
11. जिलाधिकारी/सिविल सर्जन को अधिकार होगा कि चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्यकर्मियों को अप्रभावित जगहों से हटाकर प्रभावित जगहों पर सुखाड़ से उत्पन्न महामारी की रोकथाम के लिए प्रतिनियुक्त करेंगे।
12. जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एम्बुलेंस के माध्यम से चलंत औषधालय खोला जायगा और चिकित्सा दल पर्याप्त मात्रा में दवा एवं सामग्री सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त कर लेंगे। दवा और सामग्री की आपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पताल से अनुरोध कर प्राप्त कर लेंगे। सिविल सर्जन का दायित्व होगा कि चिकित्सा दल को गाड़ी एवं एम्बुलेंस उपलब्ध करायेंगे।
13. सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित एवं कार्यरत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मचारी को अवकाश देय नहीं होगा। यदि कोई चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक है तो वह अवकाश महामारी की अवधि तक सिविल सर्जन की अनुशंसा पर जिलाधिकारी से प्राप्त करेंगे। सुखाड़ के समय में कोई चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी अपने क्षेत्र से अनुपस्थित रहेंगे तो यह गम्भीर कदाचार माना जायगा एवं उन पर इसके लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी।
14. भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार सुखाड़ से प्रभावित जनसंख्या के लगभग 20 प्रतिशत मरीजों को उपचार की जरूरत होती है।
15. जिलाधिकारी/सिविल सर्जन को यह अधिकार दिया जाता है कि सुखाड़ से उत्पन्न महामारी की रोक-थाम में यदि चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी की कमी हो, तो वे चिकित्सा महाविद्यालयों से कनीय चिकित्सक/स्नातकोत्तर के चिकित्सक की सेवाएँ अधीक्षक/प्राचार्य से प्राप्त कर सकते हैं और वे सुखाड़ से उत्पन्न महामारी तक प्रतिनियुक्त माने जायेंगे।
16. क्षेत्रीय उप निदेशक/सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुखाड़ से उत्पन्न महामारी के समय में सघन दौरा करेंगे और इसे रोक-थाम में प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगे।
17. प्रत्येक जिला में सुखाड़ की अवधि तक जिलाधिकारी के अधीनस्थ एक मोनिटरिंग सेल का गठन होना है। उसी प्रकार सिविल सर्जन के अधीन भी सुखाड़ की अवधि तक मोनेटरिंग सेल का गठन होगा, जिसमें पदाधिकारी एवं कर्मचारी 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। बीमारी से आक्रान्तों/समुचित दवा की उपलब्धता आदि की सूचना विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कर प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी एवं निदेशालय स्वास्थ्य में दूरभाष/फैक्स/E-mail से संसूचित किया जायगा।

(ग)

निदेशालय स्तर पर

1. निदेशालय स्तर पर बाढ़/सुखाड़ एवं महामारी से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन कोषांग गठित है जो सुखाड़ से उत्पन्न महामारी की अवधि में अनुश्रवण का कार्य करेगा। कोषांग में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी कार्यावधि में कार्यरत रहेंगे। कोषांग का गठन निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें के अधीन है। आवश्यकतानुसार कोषांग का कार्यावधि का विस्तार किया जायेगा।
2. IDSP, पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, बिहार राज्य के जिलों से सुखाड़ के दौरान उत्पन्न महामारी से आक्रांतों की संख्या/दवा एवं सामग्री की अद्यतन स्थिति प्रतिदिन प्राप्त करेंगे एवं जिले के प्रभावित स्थलों का सतत अनुश्रवण करते हुये समन्वय बनाये रखेंगे साथ ही निदेशालय स्वास्थ्य स्तर पर विभाग द्वारा पूर्व से गठित बाढ़, सुखाड़ एवं महामारी से निपटने हेतु संचालित आपदा प्रबंधन कोषांग को अद्यतन स्थिति से प्रतिदिन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। आपदा प्रबंधन कोषांग प्राप्त प्रतिवेदन, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/मुख्य सचिव को समर्पित करेंगे।
3. विशेष परिस्थिति में सुखाड़ से उत्पन्न किसी भी स्वास्थ्य समस्या की सूचना विभाग अवस्थित राज्य नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या-0612-2215505 तथा फैक्स संख्या-0612-2217608 एवं कॉल सेन्टर- 104, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार शेखपुरा, पटना के माध्यम से उपलब्ध/प्राप्त करायी जायेगी।
4. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ वे सभी आवश्यक कदम महामारी की रोक-थाम के लिए उठायेंगे, जो वे उचित समझते हैं।

विश्वासभाजन

  
(आर० के० महाजन)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक ..... 702 (11) ..... पटना, दिनांक : 20/07/2016


प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक निदेशक सह सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संभावित सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति/रोक-थाम के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय।

प्रतिलिपि:- निदेशक, राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान संस्थान, (RMRIMS) अगमकुआँ, पटना सूचनार्थ प्रेषित।?

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राज्य स्वास्थ्य भंडार, गुलजारबाग, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल एवं अपर निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, (मलेरिया/ कालाजार) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट पर निर्गत अनुदेश अपलोड करने एवं संबंधित को ई-मेल द्वारा प्रेषण करने हेतु प्रेषित।


  
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- ..... 702 (11) ..... पटना, दिनांक : 20/07/2016

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि:- सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव

सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के अनुश्रवण हेतु जाँच बिन्दुओं की सूची:-

1. सामान्य

- (क) क्या वैसे गांवों की पहचान कर ली गयी है जहाँ पीने की पानी की अत्याधिक कमी होती है ?
- (ख) क्या सुखाड़ के समय प्रभावित गांव के व्यक्तियों हेतु कम-से-कम पीने के पानी के जरूरतों का आकलन कर लिया गया ?
- (ग) सुखाड़ से प्रभावित गांवों में उपलब्ध पीने के पानी का मात्रा का आकलन कर लिया गया है ?
- (घ) क्या सुखाड़ से प्रभावित गांवों में पानी के कमी के भरपायी हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की पहचान कर ली गई है ?

2. कार्य योजना की तैयारी

- (क) क्या सुखाड़ प्रवण गांवों में सुखाड़ के समय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सक एवं पाराकर्मियों का आकलन कर लिया गया है ?
- (ख) क्या ऐसे चिकित्सक एवं पाराकर्मियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनमें आवश्यकता अनुरूप प्रतिनियुक्त किया जा सके ?
- (ग) क्या वैसे कर्मियों को सुखाड़ क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ?
- (घ) क्या प्रभावित स्थल पर क्रम रहित मल-मूत्र के जाँच हेतु निरीक्षण दल जीवविज्ञानी सहित का गठन कर लिया गया है ?
- (ङ) क्या दवाओं, कीटाणुनाशकों यथा ब्लीचींग पाउडर, क्लोरीन टैबलेटस एवं वैक्सीनस के जरूरतों का आकलन कर लिया गया है ?
- (च) क्या वर्तमान में भण्डारित दवाओं, कीटाणुनाशकों यथा ब्लीचींग पाउडर, क्लोरीन टैबलेटस एवं वैक्सीनस का समीक्षा कर लिया गया है ?
- (छ) क्या अपेक्षित अतिरिक्त भण्डारण हेतु क्रय का प्रबन्ध कर लिया गया है ?

3. कार्रवाई

- (क) क्या सुखाड़ प्रवण क्षेत्रों में कीटाणुनाशकों के व्यवहार एवं उसके उपयोग से संबंधित सावधानियों के बारे में प्रयाप्त प्रचार-प्रसार किया गया है ?
- (ख) मक्खियों एवं मच्छरों के विरुद्ध क्या उपाय किये गये हैं ?
- (ग) क्या चिकित्सा केन्द्रों की पहचान कर ली गई है ?
- (घ) क्या गांवों के सभी ग्रामवासियों को यह जानकारी है कि आवश्यकता पड़ने पर किस चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र पर जाना है ?
- (ङ) क्या वर्तमान में अवस्थित चिकित्सा केन्द्रों की पर्याप्तता का आकलन कर लिया गया है ?
- (च) यदि अस्थायी अतिरिक्त चिकित्सा केन्द्रों की आवश्यकता हो तो इस हेतु स्थलो की पहचान कर ली गयी है।
- (छ) यदि ऐसे अतिरिक्त चिकित्सा केन्द्रों की आवश्यकता होती है तो वैसी परिस्थिति में अतिरिक्त कर्मियों की उपलब्धता हेतु श्रोतों की पहचान कर ली गयी है।
- (ज) अतिरिक्त चिकित्सा केन्द्रों हेतु विभिन्न दवाओं, वैक्सीनस इत्यादि के उपलब्धता हेतु आकलन कर लिया गया है ?
- (झ) यदि वर्तमान भण्डार पर्याप्त नहीं हो तो अतिरिक्त चिकित्सा केन्द्रों में अतिरिक्त दवाओं एवं वैक्सीनस इत्यादि के उपलब्धता हेतु प्रबन्ध कर लिये गये हैं ?

4. अनुश्रवण

- (क) क्या जिलों एवं प्रखण्डों में अनुश्रवण हेतु पदाधिकारी (IDSP) चिन्हित कर लिये गये हैं ?
- (ख) क्या वर्तमान स्थितियों, दवाओं की उपलब्धता, कर्मियों के संबंध में जानकारियों के प्रेषण हेतु क्रमवार-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र → जिला → स्वास्थ्य विभाग अवस्थित राज्य नियंत्रण कक्ष के सूचना प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है ?
- (ग) अचानक उत्पन्न हुए विशेष परिस्थिति के संबंध में जानकारियों को उच्च स्तरीय प्रेषण हेतु सूचना प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है ?
- (घ) क्या अनुश्रवण, समन्वय, संकलित प्रतिवेदन के प्रेषण हेतु राज्य IDSP (Integrated Disease Surveillance Project) को संसूचित किया गया है ?

702(11)

20/07/2016